(वाद सं0–5235/2018)

02.11.2021

प्रसंगाधीन मामला, स्वास्थ विभाग के अन्तर्गत भागलपुर जिला में कार्यरत चालक, स्व0 मो0 निजाम, के सेवांत लाभ का भुगतान, उसकी पत्नी सायदा खातुन को नहीं किये जाने से संबंधित परिवादी, रेशमा प्रवीण (जो मृतक की बहन है) के परिवाद से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि उसके पिता की हत्या से संबंधित तिलकामांझी थाना कांड संख्या–818/08 में मृतक की पत्नी सायदा खातुन अभियुक्त थी जिसमें अपर सत्र न्यायालय, भागलपुर द्वारा सहजादी खातुन सहित सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जाय। दोष मुक्त किये जाने के पश्चात तिलकामांझी थाना कांड सं0–118/08 की सूचक सायदा खातुन की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई। परिवादी उक्त सूचक, सायदा खातुन, की पुत्री है। परिवादी का कथन है कि अपर सत्र न्यायालय भागलपुर द्वारा तिलकामांझी थाना कांड संख्या–818/08 के अभियुक्तों की दोष मुक्ति संबंधी आदेश को उसने माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है जो क्रिमिनल अपील संख्या–751/18 के रूप में लंबित है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसके मृतक भाई की नियुक्ति, उसके पिता की मृत्यु के बाद, अनुकंपा के आधार पर हुई थी। परिवादी की ओर से प्रार्थना की गयी है कि जब तक क्रिमिनल अपील संख्या–751/18 का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक मृतक मोहम्मद निजाम के सेवांत लाभ का भुगतान उसकी पत्नी सायदा खातुन को नहीं किया जाय।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक चालक स्व0 मो0 निजाम के आश्रित पुत्र, मो0 सोनू, को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु पत्र समर्पित किया जा चुका है। जिला अनुकंपा समिति, भागलपुर द्वारा मो0 सोनू के आवेदन को कालबाधित होने के कारण अस्वीकार किया जा चुका है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि मृतक मो0 निजाम की पत्नी सायदा

खातुन को अपने पति के सेवांत लाभ का भुगतान न कर परिवादी सहित उसकी सभी बहनों व भाई को सेवांत लाभ का भुगतान किया जाय क्योंकि मृतक की नियुक्ति उसके पिता की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर हुई थी।

प्रसंगाधीन मामला, एक मृत सरकारी सेवक के सेवांत लाभ को प्राप्त करने हेतु उसके उत्तराधिकारियों के बीच विवाद से संबंधित है जिसका समुचित निर्णय लेने का अधिकार न्यायालय/सक्षम प्राधिकार को है। राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई निर्देश/आदेश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी, न्यायालय/सक्षम प्राधिकार के समक्ष विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक